(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के झांसी-कानपुर सैक्शन पर चौरा और पन्ना स्टेशनों के बीच सशस्त्र डाकुओं ने एक सवारी गाड़ी के एक डिब्बे के सभी यात्रियों को लूट लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी के अनुसार इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). झांसी-कानपुर खंड से सशस्त्र डाकुओं द्वारा यात्रियों के लूटे जाने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन 10-3-69 को उरई और कालपी रेलवे स्टेशन के बीच झांसी लखनऊ सवारी गाड़ी (105 डाउन) के दूसरे दर्जे के डिब्बे में चोरी का एक मामला हुआ था।

कानपुर की सरकारी रेलवे पुलिस, में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत चोरी का एक मामला दर्ज किया गया था जिसे जांच पड़ताल के लिये झांसी की सरकारी रेलवे पुलिस के पास भेज दिया गया।

Foreign Collaboration

5685. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the items on which more than one collaboration has been entered into during the last three years ; and

(b) the number of such agreements for the same item ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House,

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक भट्ठी

5686. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुपयुक्त कोयले का प्रयोग न किये जाने के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक भट्ठी में अनेक खराबियां पैदा हो गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि इससे गैस का उत्पादन भी कम हो गया है ;

(ग) इसकी पुनरावृत्ति को रोकने तथा कुशलतापूर्वक कार्य चलने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अन्य इस्पात कारखानों को कोई निर्देश भी दिये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक मिलियन टन दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक भट्ठीयों को न्यूनाधिक क्षति पहुंची जिस के मुख्य कारण थे—उचित संधारण की व्यवस्था का न होना, कोयले का असन्तोषजनक मिश्रण और चूर्ण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर उचित ध्यान न देना।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). इस क्षति की मरम्मत के लिए उपयुक्त कदम उठाए गये हैं। ऐसी स्थिती की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पाण्डे समिति की सिफारशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस समिति ने उस कारखाने के कार्यकरण का अध्ययन किया था। इस रिपोर्ट की प्रतियां हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अपने अन्य दोनों कारखानों को मार्गदर्शन के लिए दी गई हैं।